मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांकः 14 / 1086/2019/ब–1/चार, भोपाल, दिनांकः 08/01/2020

प्रति,

प्रधान महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

विषयः– वर्ष 2003–04 में आधिक्य व्यय के नियमितीकरण से संबंधित अधिनियमों की प्रतियॉ बावत्।

–::000::–

वर्ष 2003–04 में आधिक्य व्यय के नियमितीकरण से संबंधित अधिनियम की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। अधिनियम की प्रति दिनांक 06.01.2020 को म.प्र. राजपत्र (असाधारण) को केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की वेबसाईट www-govtpress.mp.nic.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(नीरज कुमार सिंह)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा0 क्रमांक 15 /1086/2019/ब–1/चार भोपाल, दिनांक 08 /01/2020
प्रतिलिपिः–

1/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2/ प्रमुख सचिव विधान सभा सचिवालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 2020—पौष 16, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 281-4-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 जनवरी, 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०२०

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-८) अधिनियम, २०१९

[दिनांक ४ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-८) अधिनियम, २०१९ है.

३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये २,५३,८६,२५६ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो करोड़ तिरेपन लाख छियासी हजार दो सौ छप्पन होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २००४ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) आधिक्य		
		मतदत्त	भारित	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	०	२६,५४७	२६,५४७
२३.	जल संसाधन	०	२,२८,८९४	२,२८,८९४
३५.	पुनर्वास विभाग	१,२२, ३९	०	१,२२,६३९
६७.	लोक निर्माण विभाग	०	४,६४,१७१	४,६४,१७१

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
६८.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास			
		१,२३,६६,२५०	०	१,२३,६६,२५०
८४.	राजस्व विभाग			
		४,७२,५३८	०	४,७२,५३८
९४.	नगरीय प्रशासन एवं विकास			
		१,१७,०५,२१७	०	१,१७,०५,२१७
	योग :	२,४६,६६,६४४	७,१९,६१२	२,५३,८६,२५६

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 281-4-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 8) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 3 OF 2020

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 8) ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 4th January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th January, 2020.]

An Act to provide for the authorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 2004 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 8) Act, 2019. **Short title.**

2. **From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Two Crore fifty three lakh eighty six thousand two hundred fifty six rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the Financial Year ended on the 31st day of March, 2004 in excess of the amounts granted for those services and for that year.** **Issue of Rs. 2,53,86,256 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditure for the year ended on 31st March, 2004.**

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the Financial Year ended on the 31st day of March, 2004.

THE SCHEDULE

(*See* Section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Service and purpose	(3) Excess		
		Voted	Charged	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
20.	Public Health Engineering	0	26,547	26,547
23.	Water Resources	0	2,28,894	2,28,894
35.	Eehabilitation	1,22,639	0	1,22,639
67.	Public Work (Billding)	0	4,64,171	4,64,171
68.	Panchayat and Rural	1,23,66,250	0	1,23,66,250
84.	Revenue	4,72,538	0	4,72,538
94.	Urban Development	1,17,05,217	0	1,17,05,217
	Total . .	2,46,66,644	7,19,612	2,53,86,256

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020